

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय





राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

इस पत्रिका में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई हैः

- > जीवन कौशल
- स्व--सहायता समूहों के कार्य और गठन
- कौशल विकास और सशक्तिकरण उन्मुखी कार्यक्रम और योजनाएं

जीवन कौशल

- जीवन कौशल अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार हेतु ऐसी योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रमावपूर्ण ढंग से सामना करने में समर्थ बनाती हैं।
- जीवन कौशल विकास एक आजीवन प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करती है।



जीवन कौशल सीखाने का महत्व

जीवन कौशल के अंतर्गत निम्न शामिल हैं



आन्मजागरूकता/आत्मज्ञान

- आत्म ज्ञान व्यक्ति द्वारा अपने ख्वयं के चरित्र की शक्तियों और कमजोरियों को समझने का सामर्थ्य है।
- ≽ आत्म ज्ञान कौशलों में निम्न संबंधी सामर्थ्य शामिल हैं:--
 - व्यवहारगत शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना।
 - स्वयं के सामर्थ्य, इच्छाओं और नापसंद को पहचानना।
 - उन वाश्तविकताओं को पहचानना जिन्हें बदला नहीं जा सकता और उन्हें स्वीकार करना।
 - अपने महत्व को पहचानना समी लोग एक समान नहीं होते तथा विविधता का होना अच्छा है।
 - अपनी स्वयं की विशिष्ट योग्यताओं को पहचानना।

परानुभूति



- परानुमूति स्वयं को दूसरे के ख्यान पर रखने तथा उनकी नज़र से खिथति को देखने व समझने का सामर्थ्य है।
- इसमें अपने स्वयं के अनुमव को कोई महत्त्व दिए बिना दूसरे व्यक्ति के उद्देश्यों, मावनाओं तथा व्यवहार को समझने का सामर्थ्य शामिल है।

प्रभावी संचार

- अपने विचारों को माँखिक या लिखित रूप से स्पष्ट व्यक्त करने का सामर्थ्य संचार को प्रमावपूर्ण बनाता है।
- प्रमावी संचार कौशल रोजाना के अनेक मुद्दों को सुलझाने और अंतर्वैयक्तिक संबंधों को सुध गरने में काफी उपयोगी है।

अंतर्वैयक्तिक संबंध

- अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशलों में सौहाद्पूर्ण संबंध बनाने का सामर्थ्य शामिल है।
- अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल हमें ऐसे लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से जुडने में सहायता करते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं।





समझौता वार्ता (नैगोसिएशन) कौशल

- > समझौता वार्ता में दूसरों के विचारों को सुनने और उनका सम्मान करने का सामर्थ्य शामिल है।
- > समझौता वार्ता की शैली दो आयामों पर निर्मर करती है अपना सरोकार (स्वाग्रही) हठधमी) या दूसरों के लिए सरोकार या संबंधों की चिंता (सहयोगात्मक)
- > आग्रहिता और सहयोगात्मकता की डिग्री के आधार पर एक व्यक्ति समझौता वार्ता की शैलियों

- सफल समझौता वाताओं की कुंजी
- योंजना बनाएं और तैयारी करें
- सकारात्मक दृष्टिकॉण रखे
- ध्यानपूर्वक सने
- दूसरों के निर्णंध का सम्मान करें
- दुढ किन्तु मित्रवत् रहे
- प्रेरित करें दबाव न डाले
- कभी भी धमकी न दें
- पारस्परिक सहमति का लक्ष्य रखें जीत का नहीं
- विश्वास जगाएं

का अनुकुलन कर सकता है – बचना, समंजन, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, समझौता।

आलोचनात्मक और सूजनात्मक चिंतन (सोच)

- अलोचनात्मक चिंतन किसी स्थिति में उचित प्रकार से सोचने, लाम और हानियों का आकलन करने की क्षमता है ताकि स्थिति में समुचित निर्णय लिए जा सकें।
- > सुजनात्मक चिंतन कार्यों को देखने या करने का नवीन तरीका है, सरल शब्दों में इसका अर्थ है लोग से हटकर सोचना /अलग व नए ढंग से सोचना।
- महिलाओं के लिए आलोचनात्मक और सूजनात्मक चिंतन कौशलों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें विविधतापूर्ण और विवादास्पद (संघर्षात्मक) मुद्रदों, संदेशों, प्रत्याशाओं और मांगों का सामना करना पडता है।

निर्णय लेना

> निर्णय लेना एक ऐसी योग्यता है जो उपलब्ध समस्त सूचनाओं का इस्तेमाल कर हमें किसी स्थिति का आकलन करने, लामों और हानियों का विश्लेषण करने तथा संसुचित और वैयक्तिक चुनाव करने में समर्थ बनाती है।





निर्णय लेने से पूर्व हमें चाहिए कि हम लिए जाने वाले निर्णय की प्राथमिकता. समझ और उसके परिणामों के बारे में जानें।

समस्या का समाधान

- समस्या का समाधान कठिन या चुनौतीपूर्ण स्थितियों का पता लगाने, उनका सामना करने और उनका समाधान ढूंढने का सामर्थ्य है।
- किसी समस्या कथन के लिए मात्र पांच 'क्यों' प्रश्न समस्या के कारण का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं।
- 'क्यों' प्रश्नों की श्रृंखला किसी भी समस्या के संबंध में अंतर्दृष्टि उपलब्ध करा देती है। एक बार समस्या के कारण समझ में आ जाए, तो उसका समाधान ढूंढना सहज हो जाता है।

सामान्य कौशलः जूझने के कौशल

तनाव से जूझना (सामना करना)

- तनाव किसी अप्रिय स्थिति के प्रति शरीर की अनुक्रिया है।
- तनाव शारीरिक, मावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण हो सकता है।
- पारिवारिक समस्याएं, बेरोजगारी, परीक्षा का दबाव, परिवार के किसी सदस्य या संबंधी की मृत्यु उन स्थितियों के उदाहरण हैं, जिनके कारण तनाव हो सकता है।



अपने जीवन के तनाव के सोतों को स्वीकारना तथा समझना कि उनका हम पर क्या प्रमाव पड़ता है तथा तनाव को न्यूनतम करने और विश्रांति का संवर्धन करने वाले तरीकों से कार्य करना महत्वपूर्ण है।

भावनाओं से जूझना (सामना करना)

- समी मानव अनेक मावनाओं जेसे प्रसन्नता, खुशी प्यार, उदासी, क्रोघ, ईर्ष्या इत्यादि की मावनाओं से गुजरते हैं।
- मावनाओं से जूझने के लिए अपनी आंतरिक तथा दूसरों की मावनाओं को समझना तथा उनके संबंध में सर्वाधिक समुचित तरीके से कार्रवाई करना शामिल है।
- मावनाओं को समझने से हम अपने एहसास विश्वासपूर्वक दूसरों के समक्ष अमिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरों को न बताने या उनका स्पष्ट अवबोधन न होने से समस्या का समाधान नहीं होता।

स्व–सहायता समूह

रच– सहायता समूह समान सामाजिक–आर्थिक हालात वाले लोगों द्वारा गठित एक लघु स्वैच्छिक संरचना है। इसका गठन आर्थिक सहायता, समस्या के समाधान या निर्णयन (निर्णय लेने के लिए) के लिए किया जाता है। रच– सहायता समूहों का गठन समुदाय की महिलाओं के बीच किया जा सकता है तथापि यह



देखा गया है कि महत्वपूर्ण गतिविधियों में महिलाओं का कार्य निष्पादन बेहतर होता है।

स्व-सहायता समूहों के कार्य

(क) बचत और अल्पव्ययी:


- समूह के समी सदस्यों में बचत की आदत नियमित और निरंतर होनी चाहिए। बचत की राशि लघु/कम हो सकती है।
- समूह के प्रत्येक सदस्य का आदर्श—वाक्य 'पहले बचल—बाद में उधार (क्रेडिट) होना चाहिए।
- समूह के सदस्य यह सीखते हैं कि बचत के माध्यम से बड़ी मात्रा में नकद धन राशि को कैसे संमाला जा सकता है। बैंक ऋणों के उपयोग में यह जानकारी उपयोगी हो सकती है।

(ख)आंतरिक उधारः

- बचत का इस्तेमाल सदस्यों को ऋण देने के लिए किया जाता है।
- प्रयोजन, श्राशि, ब्याज की दर इत्यादि का निर्णय समूह द्वारा खयं ही किया जाता है।
- रच-सहायता समूह को उचित लेखे रखने होते हैं।
- बैंक में बचत खाता खोलना।
- रच- सहायता समूह के सदस्यों को बैंकों से ऋण लेने और उनकी अदायगी करने में समर्थ बनाना।

(ग) समस्याओं पर चर्चा करना

- प्रत्येक बैठक में, समूह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेगा (जैसे आय सृजक गतिविधियां, मृत्य वर्द्धन / उत्पादन इकाइयां तथा ग्राम विपणन)
- समूह के सदस्यों द्वारा उन समस्याओं (जैसे जेंडर और विधिक मुदे) के समाधान ढूंढ़ना जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है।



स्व-सहायता समूहों के कार्य करने के महत्वपूर्ण नियम

- आम सहमति और निर्णय
- अनुपरिथति के लिए सम्मत दंड
- बचत की पाशि पर सहमति
- परस्पर एक दूसरे को लघु ऋण देना
- बैंक ऋण की अदायगी की आदतें
- समी लेन देनों के लिए साफ सुधरी बहियों का अनुरक्षण

राष्ट्रीय महिला कोष (आर एम के)

➤ राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु आजीविका गतिविधियों, आवास, लघु उद्यम, पारिवारिक आवश्यकताओं इत्यादि के लिए एक ग्राहक अनुकूल तथा माग—दौड़ मुक्त ऋण प्रक्रिया / तंत्र के जरिए लघु–वित्त सेवाएं प्रदान करता है।



- राष्ट्रीय महिला कोष रव-सहायता समूहों के लघु वित्त पोषण, अल्पव्ययी तथा क्रेडिट निर्माण और रिधारीकरण के जरिए महिला सराक्तिकरण के साथ-साथ निर्धन महिलाओं के लिए उद्यम विकास की अवधारणा का संवर्धन मी करता है।
- ग्रामीण और शहरी, दोनों प्रकार के महिला ख-सहायता समूहों को उधार का संवितरण गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों तथा सरकारी संगठनों जैसी मध्यवर्ती संख्याओं के माध्यम से किया जाता है।

कौशल विकास और सशक्तिकरण उन्मुखी कार्यक्रम और योजनाएं

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अधिसूचित अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों के लामार्थ आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों का संवर्धन करता है। इसमें व्यावसायिक समूहों और महिलाओं को वरीयता दी जाती है।

लक्षित समूह

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बाँद्ध, जैन तथा पारसी व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं।
- गउमीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 81,000 / – रुपये से कम है और शहरी क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,03,000 / – रुपये से कम है।



एन एम डी एफ सी की उधार देने की योजनाएं और कार्यक्रम

⊁ सावधि ऋण योजना

- यह योजना व्यक्तिगत लामार्थियों के लिए है तथा इसे राज्य के बैनल अभिकरणों (एस सी ए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- वित्त पोषण के लिए 10.00.000 / रु तक की लागत वाली परियोजनाओं पर ही विचार किया जाता है।
- एन एम डी एफ सी परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक का ऋण उपलब्ध कराता है। परियोजना लागत अधिकतम 9,00,000 / – रु तक हो सकती है शेष लागत की पूर्ति एस सी ए तथा लामार्थियों हारा की जाती है।
- लामार्थी को परियोजना लागत की कम से कम 5 प्रतिशत शशि का योगदान अवस्य करना होता है।
- लामार्थी से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है (घटते शेष की विधि के अनुरूप)।
- सहायता विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य तथा तकनीकी रूप से उपयुक्त उद्यमों के लिए उपलब्ध है।
- लघु क्तिपोषण योजना
 - यह एक अनौपचारिक ऋण योजना है जो लामार्थियों के घर पर ऋण की त्यरित डिलीवरी सुनिश्चित करती है तथा इसे एस सी ए तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

- लघु-ऋण ख-सहायता समूहों के सदस्यों को दिया जाता है (विशेष रूप से ऐसी अल्पसंख्यक महिलाओं को जो औपचारिक बैंकिंग ऋण का लाम उठाने में असमर्थ हैं)।
- एव--सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 50,000 / रु का लघु ऋण गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है जिन्हें आगे रव--सहायता समूहों को अधिकतम 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर पुनः उधार दिया जाता है।
- इस योजना के तहत अदायगी की अधिकतम अवधि 36 महीने की है।

महिला समृद्धि योजना

- दर्जीगिरी कटाई तथा कढ़ाई जैसे व्यवसायों में स्व-सहायता समूह का गठन करने के लिए लघु ऋण को महिला सदस्यों के प्रशिक्षण के साथ जोड़ने वाली यह एक अद्वितीय योजना है।
- 20 महिलाओं के समूह को किसी उपयुक्त क्राफ्ट गतिविधि में प्रति प्रशिक्षार्थी 1000 / - रुपए की वृत्तिका के साथ छः माह के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।



- एन एम डी एफ सी द्वारा प्रशिक्षण की लागत तथा वृत्तिका की पूर्ति अनुदान के रूप में की जाती है।
- अमूह का ख-सहायता समूह के रूप में गठन प्रशिक्षण के दौरान ही किया जाता है तथा प्रशिक्षण के पश्चात इस प्रकार गठित ख-सहायता समूह के प्रत्येक सदख्य को 7 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर आवश्यकता के आधार पर लघु ऋण (अधिकतम 50,000 /- रुपए) दिया जाता है।

प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एस टी ई पी)

एस टी ई पी का उद्देश्य कार्य में महिलाओं की सहायता करना है। ऐसा उन्हें कौशल उन्नयन, विपणन और ऋण संबंधन के लिए प्रशिक्षण देकर किया जाता है ताकि सरकारी



क्षेत्रक संगठनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परिसंघों, सहकारिताओं और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से रूणायी अथवा निरन्तर चलने वाला रोजगार सुनिष्टिवत किया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन—आजीविका की शुरुआत मारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के पुनः संरचित रूप में की गई थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तीन प्रमुख स्तम्भ



एन आर एल एम के तहत स्व-सहायता समूहों को सहायता

- स्व—सहायता समूहों को सहायता, ज्ञान, कौशल, निधि, बैंक संबंधन तथा ब्याज की आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
- ➤ एव-सहायता समूह के सदरयों, नेताओं तथा बुक कीपरों को एव-सहायता समूह के प्रबंधन, ऋण समावेशन क्षमता तथा ऋण योग्यता को बढ़ाने, बाजारों के साथ संबंधन, अपनी मौजूदा आजीविकाओं का प्रबंधन करने आदि के लिए ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराया जाता हैं।

वित्तीय लाभ

- रीवोलविंग फंड (आर एफ), वल्नरेक्लिटी रिडक्शन फंड (वी आर एफ) तथा कम्यूनिटी इंवेस्टमैंट फंड (सी आई एफ) के रूप में वित्तीय सहायता सी बी ओ को उपलब्ध कराई जाती है।
- > एन आर एल एम व्यक्तिगत सदस्यों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता।
- विद्यमान ख-सहायता समूहों को 3 /6 माह की अवधि के लिए 10,000 /- रुपए से 15,000 /- रुपए की एक बारी रीवोलविंग फंड

रीवोलविंग फंड

कम्यूनिटी

इनवेस्टमेंट फंड

खाद्य सुरक्षा, स्वाख्थ्य सुरक्षा जैसी वल्नरेबिलिटियाँ का समाधान करने के लिए स्व—सहायता समूह परिसंधाँ को प्रति सदस्य 1500/-रुपए का वल्नरेब्लिटी रिडक्शन फंड

महिला ख-सहायता समूहों द्वाश

लिए गए ऋण तथा बैंक के

की सीमा तक की जाती है।

उधार देने की दर के बीच के

अंतर की पूर्ति प्रति ख–सहायता

समूह के लिए 30,000 /- रुपए

वल्नरेब्लिटी रिडक्शन फंड

 आम / सामूहिक सामाजिक–आर्थिक गतिविधियां करने के लिए ख– सहायता समूह को प्रति सदस्य 3,000 / – रुपए की सी आई एफ

इंटरैस्ट सबवैनशन

10

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी निर्धन लोगों को लामप्रद रच- रोजगार तथा कुशलता आधारित मजदूरी रोजगार अवसरों का लाम उठाने में समर्थ बनाता है।
- मिशन का लक्ष्य शहरी गृह विहीन लोगों को अनिवार्य सेवाओं से सुसण्जित आश्रय उपलब्ध कराना है।
- भिशन उमर रहे बाजार अवसरों का लाम उठाने के लिए शहरी फुटपाथी विक्रेताओं के लिए उपयुक्त ख्वलों, सांख्यानिक ऋण, सामाजिक सुख्झा और कौशल बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराता है ताकि उनकी आजीविका से संबंधित समस्याओं का समाध ाान किया जा सके है।

संघाटकः एन यू एल एम के प्रमुख संघटक नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं।

- कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार
 - रचरोजगार या वेतनमोगी रोजगार के लिए कौशल विकास/उन्नयन हेतु सहायता।
- 🕨 स्व-रोजगार कार्यक्रम
 - स्व सहायता समूह एवं बैंक संबंधन।
 - कार्यशील पूंजी के लिए ऐसे लाभार्थियों की सहायता करना है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है।
 - लघू—उद्यम स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी विपणन और परामर्श।
- ≽ सामाजिक लामबंदी और सांख्णानिक विकास
 - रच-सहायता समूहों के गठन को सुविधाजनक बनाने के लिए सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण।
 - बचत खाता खोलने, वित्तीय साक्षरता, ऋण और रेमिटेंस (आगे मेजना) देने के माध्यम से वित्तीय समावेशन।
 - स्व–सहायता समूहों को रिवोलविंग फंड सहायता।
 - रोजगार और कौशल प्रशिक्षण अवसरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में एक वन स्टाप शॉप।
 - स्व—सहायता समूहों और उनके परिसंघों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- > शहरी गृहहीनों के लिए आश्रम
 - आश्रय और अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- शहरी फुटपाथी विक्रेताओं के लिए सहायता
 - फुटपाथी विक्रेताओं को पंजीकृत कर पहचान पत्र जारी करना।
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कौशल प्रशिक्षण और लघु उद्यम विकास सहायता।

- अनौपचारिक क्षेत्र के बाजारों का विकास।
- > क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम
 - केन्द्रीय, राज्य और शहर के स्तर पर तकनीकी सहायता की ख्यापना।

प्रशिक्षक शामिल किए गए विषयों, संबंधित गतिविधियों और अनुलग्नकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल में चौथा दिन सत्र 1 और 2 का संदर्भ ले सकते हैं।



भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय 11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन सीजीओ कॅम्प्लेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली 110016



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) 5, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास नई दिल्ली–110016